HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13116/2026
CNR: RJHC020807732026 | URN: CRLMB / 24246U / 2026

Shravan Kumar S/o Late Rameshwarlal, Aged About 46 Years, R/o Hapas Police Station, Laxmangarh, District Sikar (Raj.) (At Present Lodged In District Jail, Sikar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashvin Garg
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP with Mr. Sapan Soni

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

21/08/2026

प्रार्थी अभियुक्त **श्रवण कुमार** की ओर से यह जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना– उद्योगनगर (सीकर), जिला– सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 103/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120-B भारतीय दंड संहिता व धारा 4, 5, 6 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध यह स्पष्ट रूप से आक्षेप नहीं हैं कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी अभियुक्त ने परिवादी को पैसे निवेश करने के लिए प्रेरित किया हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी

किसी प्रकार के लेन–देन का उल्लेख नहीं है। धारा 420 व 406 भारतीय दंड संहिता के आरोप भी सिद्ध नहीं होते हैं। प्रार्थी अभियुक्त से मात्र कंपनी के रिकॉर्ड के अतिरिक्त कुछ संदेहस्पद दस्तावेज भी बरामद नहीं हुए हैं। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 16.10.2025 से गिरफ्तार होकर लगातार अभिरक्षा में है। प्रकरण अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थी अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 16.10.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण अनुसंधान/विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी अभियुक्त **श्रवण कुमार** को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त **श्रवण कुमार पुत्र स्व. रामेश्वरलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त पुलिस थाना– उद्योगनगर (सीकर), जिला– सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 103/2023 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोशप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

47/RAMESHWAR PRASHAD